



अज अदालत:- उपखण्ड अधिकारी

मुकाम:- महवा जिला दौसा

किशनलाल बनाम चेतन वगै0

किस्म मुकदमा:- दावा धारा 53, 188 आरटीए

नम्बर 23 सन् 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
28.02.2025	<p>वादपत्र बाद जांच दफ्तर से पेश हुआ। वादपत्र दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को जरिये रजि0 ए0डी0 तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 23.04.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">   उपखण्ड अधिकारी,  महवा जिला दौसा  महवा (दौसा) </p>	
23.04.25	<p>आज पत्रावली पेश हुई वकील वादी व वादी को रुक-रुक कर बार-बार आवज दिया गयी किन्तु कोई जवाब नहीं आया। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट होता है कि वादी अपने वाद पत्र के प्रति गंभीर नहीं है और वाद को चलाना नहीं चाहता है।</p> <p>अतः वादी का वाद पत्र अफत पेंरती व अफत हाजरी में खारिज किया जाव है। पत्रावली फेंजल शुद्ध होकर वाद तकनील दाखिल दफ्तर है।</p> <p style="text-align: center;"> आदेश जुमाद गभा   </p>	<p style="text-align: center;">किशनलाल</p>